

व्याजालय उप तहसीलदार तहसील विधान विभाग धारवा

मुद्दा	किसम मुद्दा	संग्रह दिनांक	दिनांक विभाग
58/19	घारा 91	23.7.19	26.08.19

जवाब लखार बन्नाम रामेश्वर पुत्र नाथाराम जाति कुर्बे वि० हरेकपुर तहसील धारवा जिला सुपुलु

विषय

पटवारी आज पेश हुयी। अधिकारी अनुपस्थित। नाममा सजित ने इस पत्रपर है कि पटवारी ने सन्वत् 2076 मे इस आरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आज हरेकपुर की तहसील भूमि जे०मु० जोहड़ स०न० 23 एका 7.40 किसम जे०मु० जोहड़ मे से 0.08 हे० भूमि पर अधिकारी बन्नाम रामेश्वर पुत्र नाथाराम जाति कुर्बे वि० हरेकपुर तहसील धारवा ने आरोप लय ले ताजब कास्त कर अनाधिकृत अधिकरण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर नाममा कर रदिये किना जाकर अधिकारी को राजस्थान मु० राजस्व अधिदियम 1956 की घारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अधिकारी उपस्थित हुमा। कोई साक्ष्य/संग्रह पेश नहीं किया गया।

पटवारी ने उपलब्ध साक्ष्य/संग्रह का गहनता से गणना किया गया। अधिकारी द्वारा किया गया अधिकारी को कविय निरामन नही है। ना ही नियमों के अनुसार है। अतः अना अधिकारी को राजस्थान मु० राजस्व अधिदियम 1956 की घारा 91 के तहत अधिकारी सजित किया जाता है। व जैर वहास रिपोर्ट पटवारी पर से वेदवलय किले जाने के आदेश दिने जाते है।

अधिकारी द्वारा अनाधिकृत लय से किले गये वाजस की फलत कर के तहत वारम अधिकरण सुदा भूमि के लगान 1.50 की 50 रुपया जुर्माना सारे 50/- के तहत सजित बन्नाम दिने जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/मु०म०वि०/पटवारी हल्का को तारते जमा ब्यगमी/वेदवली/वसुली/ कर राशि सज कोष मे जमा करवाने हेतु दिना जाते। मु० म०वि० को तहसील भूमि से अधिकारी भूमि से वारतायिक लय से वेदवलय किले हेतु दिना जाते। पटवारी वार तहसील तहसिल दायिल दफ्तर हो तथा वजार से कम होकर कर फीलना हो।

आज दिनांक 26.08.19 को सुले व्याजालय सुनाया गया।

22

नाथन तहसीलदार

रजस्व ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

० वाजस विभाग